प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–03.04.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस/ यातायात पुलिस गोण्डा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **52 वाहनों से मु0– 11,500 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल– 16 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

10 वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 10 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 03.04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 120 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. बजरंगी पुत्र जवाहिर निवासी नयापुरवा राजापुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–98/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. धर्मेन्द्र निषाद पुत्र स्व0 श्री पाटन निषाद निवासी परास पट्टी पुरवार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 **ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–78/19, 02. नकछेद पुत्र पांचू निवासी गौरी जमादारपुरवा मौजा बरौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 **ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–79/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. दयाराम पुत्र स्व0 हीरा निवासी नेपालपुरवा मौजा खिराभा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–268/19, 02. पंचम उर्फ ढुनढुन पुत्र हीरा निवासी नेपालपुरवा मौजा खिराभा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–269/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. मंगल प्रसाद पुत्र सुख नन्दन निवासी विचलापुरवा मौजा लक्ष्मनुपर लालनगर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 50 **ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–100/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा हत्या कर शव को छिपा देने के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

गोण्डा। बुधवार जनपद गोण्डा के थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा हत्या कर शव को छिपा देने का वांछित अभियुक्त–गोपाल पुत्र गंगादीन निवासी नरायणपुर मांझा थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा को थाना को0 कर्नलगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0–25/19 धारा 304.201 भा0द0वि0 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

वादी बिहारी पुत्र स्व0 राम दुलारे निवासी नारायनपुर मॉझा थाना को0 कर्नलगंज का आरोप है कि दिनांक 21.12.2018 को उक्त अभियुक्त द्वारा मेरे लड़के राम नारायन को मार कर गन्ने के खेत में छिपा दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा उक्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 कर्नलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा फरार चल रहे आरोपी अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा अवैध कट्टे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. राजाबाबू पुत्र सिराज निवासी वार्ड नं0–4 पठान टोला कस्बा कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

पंजीकृत अभियोग–

01.मु0अ0सं0–87/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 03.04.2019 को उ0नि0 नरसिंह मय हमराह के साथ गस्त व क्षेत्र भ्रमण करके वापस आ रहे थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति पाण्डेय तिराहा बनगॉव रोड में अवैध असलहा लिए बैठा है। इस सूचना पर उ0नि0 नरसिंह मय हमराह के साथ मुखबिर की सूचना व नीशान देही पर पहुॅचकर कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर थाना कटराबाजार में अभियुक्त के विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता –

01. उ0नि0 नरसिंह।
02. हेड का0 जगदीश राय।

जालसाजी करने के आरोपी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। बुधवार जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा जालसाजी करने के आरोपी अभियुक्तों–01. इकरार पुत्र इकबाल निवासी शाहपुर चन्दौस अलीगढ, 02. रिजवान पुत्र जुल्फिकार निवासी भगौरा कमालपुर थाना करौर बुलन्दशहर, 03. मुकेश तिवारी पुत्र मनमोहन तिवारी निवासी पूरे बलदेव पण्डित थाना परसपुर जनपद गोण्डा, 04. आशुतोष पाण्डेय पुत्र मेवालाल निवासी पूरे पाण्डेय अन्डूपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा को थाना खरगूपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–73/19 धारा 419.420.467.468.471 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्तगण ग्राम प्रधान पिपरा भोधर इन्द्रदेव पाण्डेय पुत्र शिवगुलाम पाण्डेय के फर्जी हस्ताक्षर कर प्रमाण पत्र बनाया करते थे जिनको पब्लिक द्वारा आज दिनांक 03.04.2019 को पकड़कर थाने में सुपुर्द किया गया है। खरगूपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध जालसाजी के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **कुल– 11 विवेचनाओं** का निस्तारण किया गया।

बरामदगी–

01. 120 ली0 अवैध कच्ची शराब।